

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त १५ सदस्य युक्त विज्ञान विभाग
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य संस्थाओं से न हो।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूरा न हो
सम्बन्धित हुआ हो तो पूरा हुआ पर विवेक
अनुसृत किया जावे निम्नलिखित संघोद हो।



संख्या : कुलसचिव
दूरभाष : (0751) 2341020
(0751) 2442629
फैक्स : (0751) 2341798

प्रेषक :
कुलसचिव
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
संख्या: एफ/सम्बन्धिता/2012/ 5902

दिनांक: 24/01/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने सम्बन्धित पन्डेमातरम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर (0751-4065818) को सन् 2011-12 के लिये प्रस्तावित-संचालित पोस्ट बेसिक बी.एच.टी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमाधिकार्यों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधार प्रदाय करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :

- (1) प्रो. ए.के. हल्वे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442769)
- (2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, जी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
- (3) डॉ. एन. गोरवाजी, अधिपत्यता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27(10) के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, गैरफर ट्रांस, बांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, शतक, प्रौढ परिषद एवं पाठ्यक्रम/आवृत्तियाँ तथा पिछले सत्र में की गई शर्तों की पूर्ति गद्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधार अंकित करें।

स्वायी समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बन्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

जिसके 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निम्नानुसार अर्थात् जगा करफर बपीन समिति अंकित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पंचायती संघ जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / सी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जितनी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)